

कार्य
दिनांक


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हरदोब व/स देवदस 15/2/24

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम को तामील
में जारी हुए

22/11/24

परन्तु कोई उपाधिकार नहीं आया
वाहीगांवा एवं वाही भागिद्वारा के
उपाधिकार नहीं आते है वाहीगांवा द्वारा
प्रदत्त वाद मन्तव्यित धारा 53 शब्दांकन
काइतकारी भागिद्वारा की अदम हाजरी
अदम पाबी में खासिय छिया जाता
है। प्रभावली में निषय मरेइजलाय
बुनाफ गया। उकी प्रजा जारी है।
प्रभावली मन्तव्यित शुमार
होकर दाखिल दफ्तर है तथा नम्बर से
कम है।


22/11/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. हरदेव पिता एकलिंग जी गुजर उम्र वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. लादी देवी पत्नी हरदेव जी गुजर उम्र वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. देवबक्ष पिता झूंगा गुजर उम्र वयस्क निवासी समोड़ी, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. शायरी देवी पत्नी भैरूलाल गुजर उम्र वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. जगा पिता देवी गुजर उम्र वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. छोटु पिता देवी गुजर उम्र वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. भैरू पिता एकलिंग गुजर उम्र वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. मु0 देउ बेवा एकलिंग गुजर उम्र वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. दिनेश पिता गोपी गुजर उम्र वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. मु0 दुर्गा पत्नी गोपी गुजर उम्र वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 भीलवाड़ा शाखा सुवाणा जरिये शाखा प्रबंधक
10. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 भीलवाड़ा शाखा भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0 टि0 अधिनियम 1955 बाबत विभाजन आराजियात

प्रकरण संख्या 15/2020 राजस्व वाद

वादीगण स्वयं एवं वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भैरू लाल बापना उपस्थित नहीं - इस वाद में आज तारीख 22.11.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा